ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriaya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

AssociateProfessor & Public Information Officer

27/2022-23/2071/159

दिनांक :27/02/2023

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.01.2023 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 30.01.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
मैने वर्ष 2020- विद्यालय सेमें आपके विश्व 21अनुवाद में पीजी डिप्लोमा किया है तथा मेरा अनुक्रमांक संख्या था। 2040709 सूचना का अधिकार अधिनियम करवाने की कृपा करें।लिखित जानकारी उपलब्धके उपबंधों के अंतर्गत कृपया निम्न 2005		
1	उक्त पाठ्यक्रम का विषय क्या क्या था?	प्रश्न अस्पष्ट है।
2	उक्त अनुवाद पाठ्यक्रम में किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद का प्रशिक्षण दिया गया है?	स्रोत भाषा का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। लक्ष्य भाषा हिंदी है।
3	क्या उक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद का प्रशिक्षण दिया गया है? यदि हाँ तो वह प्रशिक्षण कितने अंक का है ?	हाँ, यदि परियोजना कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा स्रोत भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन किया जाता है तो लक्ष्य भाषा हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है जिसके लिए निर्धारित अंक 100 हैं।
4	कृपया यह बताने की कृपा करें कि यदि किसी छात्र या छात्रा को भावी नियोक्ता की ओर से उसके पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारी मांगी जाती है तो वह जानकारी आपके विश्व विद्यालय से लेने के लिए कितना शुल्कर देने की आवश्य कता होगी, आवेदन का प्रारूप क्याल होगा तथा आवेदन किस कार्यालय में जमा करना होगा और फिर उसे उस आवेदन का जवाब कितने दिन में मिल जाएगा। कृपया यह बताएँ कि वांछित जवाब अभ्य र्ती को जीतने समय के अंतराल में दी जाएगी वह कितने दिन कितने महीने और कितने वर्ष में मिलेगा। मैंने पूर्व में अनुवाद अध्यीयन विभाग को 31 जुलाई 2022 को ई-मेल द्वारा माध्य म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। चूँकि सरकारी कार्यालयों में अनुवाद अधिकारी और अनुवाद भर्ती परीक्षाओं की पात्रता का यह आवश्यकक अंग है कि माध्यऔम प्रमाण पत्र (और हिंदी से अंग्रेजी और विपरित यदि अनुवाद की डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा हो तो) के लिए आवेदन किया था पर आपके विश्वविद्यालय के हर उस अधिकारी ने यह कहा कि हम ऐसे प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जिनके पास भी मैं गई।	प्रश्न परिकल्पनात्मक है।

पृष्ठ 2 पर ....

5	उपरोक्त विवरण के आलोक में कृपया यह बताएँ कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को रोजगार में सहयोग के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र न देने का निर्णय किस अधिकारी द्वारा लिया गया है। कृपया इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश की एक प्रति, उस आदेश से संबंधित फाइल पर की गई नोटिंग की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
6	मेरे उक्त आवेदन पर आपके विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई। यदि आपके विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी आवेदन का जवाब न देने की परंपरा हो तो उक्त परंपरा से संबंधित लिखित आदेश की प्रति उपलब्ध करवाएँ।	आपके आवेदन दिनांक 31.07.2022 द्वारा पी.जी.डिप्लोमा अनुवाद से संबंधित अस्थायी/स्थायी प्रमाणपत्र की मांग की गयी। इस आवेदन में 'माध्यम' प्रमाणपत्र का उल्लेख नहीं किया गया था।
7	मेरे आवेदन पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो कृपया यह बताएँ कि इस आवेदन पर कार्रवाई कर मुझे सकारात्मक या नकारात्मक जवाब कब तक दिया जाएगा।	निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
8	आपके विश्वविद्यालय के नियमावली के अनुसार किसी आवेदन के निस्तारण के लिए क्या कोई अधिकतम अवधि निर्धारित है। यदि हाँ तो यह बताएँ कि वह अवधि क्या है।	यथासमय आवेदन का निस्तारण किया जाता है।
9	मेरे आवेदन के मामले में उस निर्धारित नीति का यदि अनुपालन नही हुआ है तो कृपया यह बताएँ कि अपने नियत कार्य में कोताही बरतने के कारण जवाब में देरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तथा उस जिम्मेदार अधिकारी या कार्मिक के खिलाफ आपका कार्यालय क्या कार्रवाई करेगा।	प्रश्न संख्या 7 में दिये गये उत्तर को देखें।
10	मुझे कृपया यह भी बताया जाए कि उपरोक्त विवरण के आलोक में संबद्ध अधिकारी या कार्मिक के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कृपया इस संबंध में फाइल पर लिखे नोट की छायाप्रति उपलब्ध करवाएँ।	प्रश्न परिकल्पनात्मक है।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं –

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स , वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(शंभू जोशी)
27/09/2022